# प्रेस नोट दिनांक- 03.01.2025 जनपद प्रतापगढ़

## थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 शातिर चोर गिरफ्तार, निशांदेही पर चोरी की अपाचे, स्कूटी मोटर साइकिल बरामद

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा वाहनों की चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार

थाना फतनपुर द्वारा क्षेत्रान्तर्गत कस्बा गीतानगर नहर पुलिया के पास से अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/ निशांदेही पर चोरी की 01 अदद स्कूटी, 01 अपाचे मोटर साइकिल व कूटरचित नंबर प्लेट बरामद व कब्जे से अवैध 01 अदद तमंचा व 01 जिंदा कारतूस बरामद

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, प्रतापगढ़ श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार राय थाना फतनपुर के नेत्तृत्व में दिनांक 03.01.2025 को थाना फतनपुर के उ0नि0 प्रभांशु कुमार राय मय हमराह उ0नि0 विकास निषाद, हे0का0 राजेश सिंह यादव, हे०का० शिवानन्द यादव, का0 विवेक यादव, का0 आशुतोष तिवारी द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, चेकिंग के दौरान थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत कस्बा गीतानगर नहर पुलिया के पास से अभियुक्त सौरभ सिंह उर्फ अश्विन सिंह पुत्र जयेन्द्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम छिवलहा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ को चोरी की 01 अदद मोटर साइकिल अपाचे, चोरी की 01 अदद स्कूटी एक्टिवा 5G, कूटरचित नंबर प्लेट व अवैध 01 अदद तमंचा 315 बोर, अवैध 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 अदद अपाचे मोटर साइकिल, 01 अदद स्कूटी, कूटरचित नंबर प्लेट, अवैध 01 अदद देशी तमंचा व 01 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना फतनपुर पर मु0अ0सं0-03/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 318 (4), 338, 317(2), 336(3), 340(2), 317(4) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि उक्त स्कूटी मैने डेढ़ साल पहले SRN प्रयागराज चूराया था तथा 03 महीना पहले SRN प्रयागराज से ही एक सफेद रंग अपाचे मोटरसाइकिल चोरी की थी। आज उसी बेचने की फिराक में जा रहा था कि आप लोगों ने पकड़ लिया। मैं गाड़ी चुरा कर उसका नंबर प्लेट बदलकर सीधे-साधे लोगों को बेच देता हूं जिससे मेरा खर्चा चलता है। गिरफ्तार अभियुक्त की निशांदेही पर चांदपुर नहर पुलिया के पास झाडियों से अपाचे मोटर साइकिल बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- सौरभ सिंह उर्फ अश्विन सिंह पुत्र जयेन्द्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम छिवलहा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0-44/ 2024 धारा- 392, 411 भादवि0 थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

02. मु0अ0सं0-461/ 2023 धारा- 379, 411 भादवि0 थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

03. मु0अ0सं0-479/ 2023 धारा- 411, 419, 420, 468, 471 भादवि0 थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

04. मु0अ0सं0-03/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 318 (4), 338, 317(2), 336(3), 340(2), 317(4) बीएनएस थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

01. अवैध 01 अदद तमंचा 315 बोर

02. अवैध 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

03. चोरी की 01 अदद मोटर साइकिल अपाचे

04. चोरी की 01 अदद स्कूटी एक्टिवा 5G

05. कूटरचित नंबर प्लेट बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

उ0नि0 प्रभांशु कुमार राय मय हमराह उ0नि0 विकास निषाद,, हे0का0 राजेश सिंह यादव,, हे०का० शिवानन्द यादव,, का0 विवेक यादव, का0 आशुतोष तिवारी थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

**<u>थाना रानीगंज, जनपद  प्रतापगढ़</u>**

पंचायत भवन कसेरुआ में हुई चोरी का सामान इन्वर्टर बरामद, चोर गिरफ्तार

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा चोरी करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, चोरी का 01 माइक्रोटेक कंपनी इन्वर्टर बरामद-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत नरसिंहगढ़ पुल के पास से किया गया गिरफ्तार

कब्जे से चोरी का 01 अदद माइक्रोटेक कंपनी इन्वर्टर किया गया बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 22/23.09.2024 को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत पंचायत भवन कसेरुआ के ऑफिस की खिड़की को काटकर अन्दर से इलेक्टॉनिक सामान चुराने के प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रानीगंज में मु0अ0सं0 347 / 24 धारा 331(4), 305 बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, प्रतापगढ़ श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना रानीगंज श्री आदित्य सिंह के नेत्तृत्व में थाना रानीगंज के उ0नि0 रोहित कुमार मय हमराह उ0नि0 शिवेन्द्र कुमार यादव,, हे0का0 शिवाजी यादव,, हे0का0 अमरनाथ यादव,, का0 मनोज कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्रान्तर्गत नरसिंहगढ़ पुल के पास से दिनांक 03.01.2025 को मु0अ0सं0 347/ 24 धारा 3 ( 5 ) / 305/331 (4)/317(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त सूरज गौतम पुत्र रामशरन उर्फ बांकेलाल निवासी हैंसी परजी थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ को चोरी का 01 माइक्रोटेक कंपनी इन्वर्टर के साथ गिरफ्तार किया गया।

उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि साहब मै और मेरे 04 दोस्तों- मोहित, श्यामू, भोला, रिषभ ने दिनांक 22/23.09.2024 की रात्रि में पंचायत भवन कसेरुआ के ऑफिस की खिड़की को काटकर अन्दर से इलेक्टॉनिक सामान चुरा लिये थे। जिसको बेचने के रिषभ तथा मोहित लेकर जा रहे थे लेकिन पुलिस ने उनको चोरी के माल के साथ पकड़ लिया था। आज मैं आज इस चुराए हुए इनवर्टर को बेचने के लिए लेकर जा रहा था कि आप लोगो ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
सूरज गौतम पुत्र रामशरन उर्फ बांकेलाल निवासी हैंसी परजी थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- चोरी का 01 अदद माइक्रोटेक कंपनी इन्वर्टर बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–
उ0नि0 रोहित कुमार मय हमराह उ0नि0 शिवेन्द्र कुमार यादव, हे0का0 शिवाजी यादव, हे0का0 अमरनाथ यादव, का0 मनोज कुमार थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

## थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
हत्या का प्रयास से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार
थाना फतनपुर पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत नरायनपुर कला से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी नि0ग्रा0 नरायनपुर कला थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ के तहरीर पर दिनांक 02.01.2025 को वादी के परिजनों को आरोपियों द्वारा जान से मारने की नियत से लाठी- डण्डा से हमला करने के संबंध में थाना फतनपुर में मु0अ0सं0 04/25 धारा-115(2), 109 बीएनएस बनाम 04 व्यक्ति नामजद के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त/ वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना फतनपुर के उ0नि0 अतुल कुमार यादव मय हमराह का० दशरथ पटेल द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 04/25 धारा-115(2), 109

बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त मोबीन उर्फ गब्बर पुत्र अमीन निवासी ग्राम नरायनपुर कला थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र फतनपुर के ग्राम नरायनपुर कला से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. मोबीन उर्फ गब्बर पुत्र अमीन निवासी ग्राम नरायनपुर कला थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम- उ0नि0 अतुल कुमार यादव मय हमराह का० दशरथ पटेल थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

**थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़**

पिक अप वाहन से वध हेतु ले जा रहे 09 राशि गोवंशों को कराया गया मुक्त, पिकअप सीज

अन्तर्गत धारा 3/5 (क) / 8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 में दर्ज किया गया अभियोग

प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी व संदिग्धों की पहचान हेतु प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर शिव नारायण वैश के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी उ0नि0 संदीप कुमार तिवारी मय हमराह हे0कां० नासीर कमाल, का0 दिलीप कुमार, कां० विशाल पुरी व कां० अनिल कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त व चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर चिलबिला कोर्ट तिराहा के पास एक अदद वाहन पिकप वाहन को रोकने का प्रयास किया गया जिसमें पिकप चालक भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाकर मौके पर पिकअप वाहन छोड़कर भाग निकला। पिकप वाहन को चेक किया गया, जिस पर 09 राशि गोवंश लदे हुए थे। जिन्हे वध हेतु ले जाया जा रहा था। सभी गोवंशों को मुक्त कराकर सुरक्षित बराछा गौशाला में भेजा गया। पिकप बोलेरो वाहन सं0- (यूपी 50 ई0टी0 6453) का चालक नाम पता अज्ञात व एक अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर में मु0अ0स0-07/2025 धारा 3/5 (क) / 8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी- 01. 09 राशि गोवंशों को मुक्त कराकर गौशाला भेजा गया।

02. पिकप बोलेरो सीज।

पुलिस टीम-उ0नि0 संदीप कुमार तिवारी मय हमराह हे0कां० नासीर कमाल, का0 दिलीप कुमार, कां० विशाल पुरी व कां० अनिल कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।